

प्रेषकए

डॉ० रमेश चन्द्र तिवारी

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवामेंए

निदेशक

समाज कल्याण

उ०प्र० लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 28 मार्च 2023

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय सदर जनपद-महाराजगंज के भवन निर्माण हेतु धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4901-02/स०क०/आ०प०वि०-प्रकोष्ठ(01)/सदर-महाराजगंज/2022-23, दिनांक-17.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, सदर, जनपद-महाराजगंज के भवन निर्माण हेतु उपभोग प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स एवं थर्ड पार्टी जाँच रिपोर्ट उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, सदर, जनपद-महाराजगंज के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या- शासनादेश संख्या-233/2016/आर-5842(1)/26-3-2016-10(32)/2016, दिनांक-21-12-2016 द्वारा आगणति लागत रू०-2468.50 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू०-500.00 लाख, शासनादेश संख्या- 08/2018/3584(1)/26-3-2017-10(32)/2016, दिनांक-13-01-2018 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू०-493.70 लाख, शासनादेश संख्या-177/2018/2649/26-3-2018-10(32)/2016, दिनांक-20-08-2018 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू०-981.10 लाख, शासनादेश संख्या- 124/2020/3796/26-3-2019-10(32)/2016, दिनांक-01-10-2020 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू०-185.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस प्रकार उक्त विद्यालय हेतु प्रस्तावित कुल आगणित रू० 2468.50 लाख के सापेक्ष कुल धनराशि रू० 2159.80 लाख **कार्यदायी संस्था यू०पी० सिडको** को निर्गत की जा चुकी है।

3- उक्त पृष्ठभूमि में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, सदर, जनपद-महाराजगंज के भवन निर्माण हेतु अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पंचम किश्त के रूप में रू० 185.27 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था यू०पी० सिडको को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस संबंध में शासनादेश संख्या-233/2016/आर-5842(1)/26-3-2016-10(32)/2016, दिनांक-21-12-2016, शासनादेश संख्या-08/2018/3584(1)/26-3-2017-10(32)/2016, दिनांक-13-01-2018, शासनादेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 177/2018/2649/26-3-2018-10(32)/2016, दिनांक-20-08-2018 एवं शासनादेश संख्या- 124/2020/3796/26-3-2019-10(32)/2016, दिनांक-01-10-2020 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक-04.11.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नहीं दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वायस सक्षम स्तर से निदेशक, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चिकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून 2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VIII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्य हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन निदेशालय, समाज कल्याण विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था/निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रेषित मांग एवं अभिलेखों के आधार पर अवमुक्त की गई है। अतः यदि परियोजना के मानक एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई सूचना भविष्य में गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे एवं अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि की मांग प्रस्तुत करते समय परियोजना की टेण्डर लागत, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, संविदा से सम्बन्धित मूल (MOU), तकनीकी स्वीकृति आदि अभिलेख कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये-1,85,27,000 (रूपये एक करोड़ पच्चासी लाख सत्ताईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखाशीर्षक 4225017890700 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी  
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

पृसं0-36/2023/888 (1)/26-3-2023 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी ) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा ) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- जिलाधिकारी, महाराजगंज।
- 6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, महाराजगंज।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
- 8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 9- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
- 10- निदेशक, एन0आई0सी0।
- 11- गार्डफाइल

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी  
उप सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।